

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (युप-4) विभाग

क्रमांक :- प.19 (4) सा.प्र./युप-4/11

जयपुर, दिनांक 18/5/11

मुख्य अधिकारी,

सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)

राजस्थान, जयपुर ।

विषय:- चतुर्थ एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्वत्ति निम्नांकित चतुर्थ एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रु. 5.03 लाख (अवारे रुपये पाँच लाख तीन हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम	आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों रु.)	कुल राशि (लाखों रु.)
1.	4/75, गांधीनगर, जयपुर	1. टिन रोड इनकल्पूडिंग स्टील कार्य 2. कम्पाउण्ड बाल गेट विद्य पिलर 3. किंचन नवीनीकरण	0.16 0.16 0.15	0.47
2.	4/73, गांधीनगर, जयपुर	1. किंचन नवीनीकरण 2. मेट टाईल फ्लोरिंग 3. रक कोटा स्टोन फ्लोरिंग 4. ढुँडन और शटर	0.15 0.12 0.13 0.06	0.46
3.	4/72, गांधीनगर, जयपुर	1. किंचन नवीनीकरण 2. टीयलेट नवीनीकरण 3. फ्लोरिंग कार्य 4. ढुँडन और शटर	0.15 0.15 0.13 0.03	0.46
4.	एफ-965, गांधीनगर, जयपुर	1. टीयलेट नवीनीकरण 2. किंचन नवीनीकरण 3. मेट टाईल फ्लोरिंग 4. कोटा स्टोन फ्लोरिंग	0.15 0.15 0.12 0.07	0.49
5.	एफ-127, गांधीनगर, जयपुर	1. टीयलेट नवीनीकरण 2. कर रोड कार्य 3. रक कोटा स्टोन	0.10 0.20 0.11	0.41
6.	4/50, गांधीनगर, जयपुर	1. किंचन नवीनीकरण 2. टीयलेट नवीनीकरण 3. मेट टाईल फ्लोरिंग 4. स्टील विण्ठी	0.15 0.15 0.17 0.03	0.50
7.	4/56, गांधीनगर, जयपुर	1. टीयलेट नवीनीकरण 2. मेट टाईल फ्लोरिंग	0.15 0.18	0.33
8.	एफ-416, गांधीनगर, जयपुर	1. टीयलेट नवीनीकरण 2. किंचन नवीनीकरण 3. रक कोटा स्टोन फ्लोरिंग	0.20 0.20 0.08	0.48
9.	एफ-135, गांधीनगर, जयपुर	1. किंचन व टीयलेट नवीनीकरण 2. रिलेसेमेट ऑफ विण्ठी 3. एफ एफ एफ रक कोटा स्टोन	0.25 0.12 0.10	0.47
10.	एफ-195, गांधीनगर, जयपुर	1. टीयलेट नवीनीकरण 2. किंचन नवीनीकरण 3. टाईल फ्लोरिंग वर्क	0.15 0.15 0.18	0.48
11.	एफ-403, गांधीनगर, जयपुर	1. टाईल फ्लोरिंग वर्क 2. रिलेसेमेट ऑफ दोर 3. रिलेसेमेट ऑफ सेवन विण्ठी 4. नवीनी स्टोरेज टैक	0.32 0.05 0.06 0.05	0.48
			योग	5.03

यह व्यय बजट मद 2216-आवास (हाउसिंग) 05-साधारण पूल आवास, 800- अन्य व्यय (01) निर्माण [04] प्रथम से चतुर्थ श्रेणी तथा अन्य आवासों के लिये, 16-लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा। कार्य पूर्ण करवाकर कम्पलीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करायें।

रामस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुनिश्चित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के प्रियंक्र क्रमांक (184)SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करे।


मवदीय

Sd

उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।

2. निजी साधिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर बृत्त जयपुर।
4. अधिकारी अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-गा, जयपुर।
5. अधिकारी अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड-गा, जयपुर।
6. संबंधित आवासी।
7. रक्षित पत्रावली।



उप शासन सचिव (क)

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक :— प.19 (5) सा.प्र./ग्रुप-4/11

जयपुर, दिनांक 19/5/11

मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः— पंचम एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित पंचम एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रु. 2.58 लाख (अक्षरे रूपये दो लाख अठावन हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र.सं	आवास संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
1.	5/120, गांधीनगर, जयपुर	1. फ्लॉरिंग दर्क 2. बाथ नवीनीकरण 3. किचन नवीनीकरण	0.13 0.15 0.15	0.43
2.	5/4, गांधीनगर, जयपुर	1. किचन नवीनीकरण 2. बाथ नवीनीकरण	0.15 0.15	0.30
3.	5/60, गांधीनगर, जयपुर	1. किचन नवीनीकरण 2. बाथ नवीनीकरण 3. बुड़न डोर शटर 4. सीर्सी फ्लॉरिंग	0.15 0.15 0.03 0.06	0.39
4.	5/57, गांधीनगर, जयपुर	1. किचन नवीनीकरण 2. बाथ नवीनीकरण 3. फ्लॉरिंग कार्य 4. बुड़न डोर शटर 5. स्टील विण्ठी	0.15 0.15 0.09 0.04 0.05	0.48
5.	5/105, गांधीनगर, जयपुर	1. मेन गेट कार्य 2. टीन शेड कार्य 3. किचन नवीनीकरण	0.15 0.20 0.15	0.50
6.	5/65, गांधीनगर, जयपुर	1. किचन नवीनीकरण 2. कमाऊड़ वाल गेट कार्य 3. बाथरूम नवीनीकरण 4. फ्लॉरिंग कार्य	0.15 0.16 0.15 0.02	0.48
			कुल योग	2.58

यह व्यय बजट मद 2216—आवास (हाउसिंग) 05—साधारण पूल आवास, 800— अन्य व्यय (01) निर्माण [05] पंचम एवं छठीं श्रेणी तथा अन्य आवासों के लिये, 16—लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा। कार्य पूर्ण करवाकर कम्पलीशन प्रमाण पत्र भिजाया जाना सुनिश्चित करावें।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुरक्षापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184)SE(B)/Circuars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

Sd

उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-गा, जयपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड-गा, जयपुर।
6. संबंधित आवासी।
7. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव (क)

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक :— प.19 (6) सा.प्र./ग्रुप-4/11

जयपुर, दिनांक 18/5/11

मुख्य अधिकारी

सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन)

राजस्थान, जयपुर।

विषय:- छठवीं एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आदासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नांकित छठवीं एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आदासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रु 1.94 (अक्षरे एक लाख चौरावें हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र. सं.	आदासों संख्या	कार्य का विवरण	राशि (लाखों में)	कुल राशि (लाखों में)
1.	एच-554, गांधीनगर, जयपुर	1. किंचन नवीनीकरण 2. टॉयलेट नवीनीकरण 3. पीढ़ीसी डोर	0.15 0.20 0.10	0.45
2.	एच-651, गांधीनगर	1. टाईल वर्क 2. रोबहान विष्टो 3. सीसी फ्लॉरिंग	0.12 0.03 0.15	0.30
3.	एच-654, गांधीनगर, जयपुर	1. एसी शेड 2. टाईल वर्क 3. पीढ़ीसी डोर	0.20 0.12 0.10	0.42
4.	एच-588, गांधीनगर	1. एसी शेड 2. टॉयलेट नवीनीकरण	0.20 0.15	0.35
5.	एच-864, गांधीनगर	1. एसी शेड 2. फ्लॉर डोर शटर 3. टाईल्स वर्क	0.20 0.10 0.12	0.42
			कुल योग	1.94

यह व्यय बजट मद 2216—आदास (हाउरिंग) 05—साधारण पूल आदास, 800—अन्य व्यय (01) निर्माण [5] पंथम एवं छठवीं श्रेणी तथा अन्य आदासों के लिये, 16—लघु निर्माण कार्य (आयोजना निन) में उपलब्ध प्रावधान में से रो बहन होगा। कार्य पूर्ण करवाकर कम्पलीशन प्रमाण पत्र निजावाया जाना सुनिश्चित करावे।

समरत वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित रिद्दातों की प्रयोक्त स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE (B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

मददीय,

SL

उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-गा, जयपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विधुत खण्ड-गा, जयपुर।
5. रावधित आदासी।
6. रहित पत्रावली

उप शासन सचिव (क)